कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)

जलेब चौक, जयपुर।
ई-मेल : psa.hgcd.rj@nic.inफोननम्बर 0141-2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः-प.37(2823)गृरमु/पीएसएएल/2017/1613-20 दिनांक- 12 JAN 2023

कार्यालय आदेश

आवेदक श्री मोहन लाल सुमन पुत्र श्री प्रकाश सुमन निवासी वार्ड नं. 15, ताखाजी मौहल्ला, जोलपा रोड, सांगोद, कोटा, राजस्थान द्वारा इस कार्यालय में मैसर्स मोहन लाल सुमन कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसेज कार्यालय पता 46, राजनगर, देवली अराब रोड, कोटा, राजस्थान के नाम से नवीन सिक्यूरिटी लाईसेन्स लेने हेतु दिनांक 02.11.2020 को इस कार्यालय में आवेदन किया गया है। इस क्रम में इनके मूल निवास व कार्यालय पते की पुलिस जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, कोटा-शहर को पत्र जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक, कोटा-शहर ने आवेदक श्री मोहन लाल सुमन की जांच रिपोर्ट में इस कार्यालय को अवगत कराया कि आवेदक द्वारा दिये गये पते पर कार्यालय संचालित करना बताया है। जबकि जांच के दौरान मकान मालिक द्वारा बताया गया आवेदक मोहन लाल सुमन को कोई कमरा/दुकान किराये पर नहीं दी है। आवेदक द्वारा दिये गये पते पर कार्यालय संचालित नहीं है। आवेदक का कार्यालय दिये गये पते पर संचालित नही पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 16227 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा नोटिस जारी कर आवेदक से स्पष्टीकरण चाहा गया। आवेदक द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कार्यालय हेतु दो कमरे किराये पर ले रखे है जो कि सही है। कार्यालय की पुनः जांच करवाई जावे। आवेदक श्री मोहन लाल सुमन के प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके कार्यालय पते की पुनः जांच करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7403 दिनांक 16.03.2022 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, कोटा-शहर को पत्र जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक, कोटा-शहर द्वारा आवेदक के कार्यालय पते की पुनः जांच कर रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई गई। जांच रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि मकान नं. 46, राजनगर, देवली अराब रोड, कोटा, राजस्थान पर वर्तमान में एजेन्सी का कार्यालय संचालित नहीं है। जांच के दौरान आवेदक कार्यालय पते पर उपस्थित नही मिला। पुलिस अधीक्षक, कोटा-शहर द्वारा आवेदक श्री मोहन लाल सुमन को नवीन लाईसेन्स प्रदान करने की अनुशंषा नहीं की गई। आवेदक श्री मोहन लाल सुमन के कार्यालय पते की पुलिस अधीक्षक, कोटा-शहर से दो बार जांच करवाई गई। दोनो समय आवेदक का कार्यालय दिये गये पते पर संचालित होना नहीं पाया गया। दिये गये पते पर कार्यालय संचालित नहीं पाये जाने के कारण आवेदक को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 07.10.2022 को नोटिस जारी कर 10 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया। यह पत्र आवेदक को रजिस्टर्ड डाक एवं ई-मेल से भेजा गया। किन्तु आवेदक द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आवेदक श्री मोहन लाल सुमन द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं कार्यालय दर्जशुदा पते पर संचालित होना नहीं पाये जाने व पुलिस अधीक्षक, कोटा-शहर द्वारा लाईसेन्स जारी करने की अनुशंषा नहीं किये जाने के फलस्वरूप मैसर्स मोहन लाल सुमन कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सिक्यूरिटीज सर्विसेज के आवेदन संख्या 2823 को तुरन्त प्रभाव से <u>निरस्त</u> किया जाता है।

(यू. आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक एवं महासमादेष्टा)
गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान,
जयपुर

<u>प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-</u>

1. श्री मोहन लाल सुमन पुत्र श्री प्रकाश सुमन निवासी वार्ड नं. 15, ताखाजी मौहल्ला, जोलपा रोड, सांगोद, कोटा, राजस्थान
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, कार्यालय हाजा को विभागिय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक एवं महासमादेष्टा)
गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान,
जयपुर